147 6

158

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, राजस्थान जयपुर।

कमांकःएफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2010-11/ 88-138 दिनांकः 15.05.2020

-: परिपत्र (2020) :-

यह ध्यान मे लाया गया है कि कतिपय प्रकरणों मे नियोक्ता द्वारा राज्य कर्मियों को राज्य सेवा से बर्खास्त करने या सेवा से पृथक करने पर इस विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा बीमेदार के आवेदन करने पर अध्यर्पण स्वत्व राशि का भुगतान कर दिया जाता है एवं सूचना प्राप्त नहीं होने पर भुगतान की कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं होती है। कतिपय प्रकरणों में अगर राज्य कर्मी न्यायालय के आदेश से पुनः राज्य सेवा में आ जाता है, तो कार्मिक द्वारा सामान्यतः उसी पॉलिसी संख्या पर बीमा प्रीमियम की कटौती प्रारम्भ कर दी जाती है, अथवा कार्मिक या कार्मिक के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पॉलिसी पुनर्जीवित करने हेतु इस विभाग के जिला कार्यालय को लिखा जाता है।

ऐसे प्रकरणों जिसमे विभाग द्वारा अध्यर्पण स्वत्व राशि का भुगतान कर दिया गया है और माननीय न्यायालय के आदेश की पालना मे सेवा की निरन्तरता हुये राज्य कर्मी पुनः राज्य सेवा मे आ गया है तो ऐसे मे पॉलिसी को पुनर्जीवित/पुनर्स्थापित करने की प्रकिया वर्तमान मे उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रत्येक प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है एवं मुख्यालय उपरोक्त प्रकरणों को राज्य सरकार को प्रेषित करता है। राज्य सरकार द्वारा श्री भीखाराम मेघवाल के प्रकरण मे विभाग को यह निर्देशित किया गया है कि पॉलिसी पुनर्जीवित/पुनर्स्थापित करने के प्रकरणों को विभाग के स्तर पर ही निर्णित किया जायें।

अतः राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के कम मे पॉलिसी पुनर्जीवित/पुनर्स्थापित करने की प्रकिया निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

(1) जिला कार्यालयों के पास पुनर्जीवित/पुनर्स्थापित का प्रकरण प्राप्त होने पर वह सर्वप्रथम निम्न दरस्तावेज संबंधित कार्मिक व उसके आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्राप्त करेगाः-

(7)

(अ) माननीय न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति ।

(ब) विभाग/नियोक्ता के नियमितिकरण/सेवा मे पुर्नस्थापित करने के आदेश की प्रति।

(स) भुगतान की गई पॉलिसी को पुनर्जीवित/पुनर्स्थापित करने का कार्मिक का प्रार्थना पत्र जो उसके आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया गया हो ।

(2) प्रकरण प्राप्त होने पर उसे एक पंजिका पुनर्जीवित/पुनर्स्थापित पंजिका मे दर्ज किया जावेगा । उक्त दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर प्रकरण सन्तुष्टीपूर्ण होने पर अपने अभिमत सहित प्रकरण संभागीय कार्यालय को भिजवाया जायेगा। संभागीय कार्यालय प्रकरण मे सन्तुष्ट होने पर प्रकरण का अनुमोदन करेगा । अनुमोदन पश्चात प्रकरण पुनर्जीवित/पुनर्स्थापित पंजिका मे दर्ज कर पुनः जिला कार्यालय को भिजवाया जावेगा।

(3) ऐसे प्रकरणों जिनके सूचना प्राप्त नही होने के कारण भुगतान संबंधित कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसे प्रकरणों मे राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 26 एवं 27 की पालना मे अप्राप्त बीमा कटौति एवं उस पर देय ब्याज कार्मिक के वेतन/एरियर से वसूलनें से अथवा बीमेदार के द्वारा स्वयं के स्तर पर नकद चालान द्वारा राजकोष बीमा बजट मद (8011–00–105–01–01) में जमा करवाई जाने की आदेश जारी किये जायें ।जमा करवाई जाकर बीमा पॉलिसी निरन्तर की जावेगी एवं इसकी सूचना संभाग व मुख्यालय को दी जायेगी।

(4) ऐसे प्रकरण जिनमे प्रार्थी द्वारा अध्यर्पण स्वत्व का भुगतान प्राप्त कर लिया है, जिला कार्यालय पूर्व मे बीमेदार को किये गये अध्यर्पणं स्वत्व दावा राशि एवं उस पर राज्य बीमा की निर्धारित ब्याज दर से ब्याज की गणना एवं अप्राप्त प्रीमियम राज्य बीमा की निर्धारित ब्याज दर से ब्याज कार्मिक के वेतन/एरियर से वसूलनें से अथवा बीमेदार के द्वारा स्वयं के स्तर पर नकद चालान द्वारा राजकोष बीमा बजट मद (8011–00–105–01–01) में जमा करवाई जाने की आदेश जारी किये जायें ।

(5) संबंधित कार्मिक द्वारा आदेशित राशि जमा कराने की सूचना/चालान की प्रति प्राप्त होने पर पुनर्जीवित/पुनर्स्थापित पंजिका मे एवं समस्त संबंधित स्वत्व पंजिकाओं मे इन्द्राज कर बीमा पॉलिसी नियमित करेगें।

(6) इसकी सूचना संभाग कार्यालय सहित निदेशालय स्तर पर बीमा योजना के बैलेन्शीट अनुभाग व मूल्यांकन अनुभाग को प्रेषित करेगें। मुख्यालय के मूल्यांकन अनुभाग द्वारा इसका इन्द्राज संबंधित बीमा के मूल्यांकन कार्ड मे करेगा। तथा बैलेन्शीट अनुभाग अपनी पंजिकाओं मे इसका इन्द्राज करेगा तथा अपने स्तर पर

पुनर्जीवित / पुनर्स्थापित पंजिका का संधारण करेगा । उक्त कार्यवाही कर अनुभाग संबंधित जिला कार्यालय व संभागीय कार्यालय को सूचित करेगा।

अतः समस्त जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार पॉलिसी पुनर्जीवित / पुनर्स्थापित की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

(आनन्द स्वरूप)
निदेशक

क्रमांकःएफ 19 / बीमा / व्य0एवंप0 / 2010–11 / 88-138 दिनांकः 15.5.2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव वित्त(व्यय), विभाग जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त(बीमा), विभाग जयपुर ।
3. निजी सचिव,निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
4. वरिष्ठ अतिरिक्त / अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय जयपुर ।
5. अतिरिक्त निदेशक,सिस्टम अनुभाग मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिपत्र को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करावें।
6. अतिरिक्त निदेशक, समस्त संभागीय कार्यालय ।
7. संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, समस्त जिला कार्यालय ।
8. पर्यवेक्षक बैलेन्सीट / मुल्यांकन अनुभाग मुख्यालय जयपुर ।

13/5/2020

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।